आयुष्मान भारत PM-JAY

बिहार के लोगों के लिए अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की आसान जानकारी

रु. 5 लाख तक मदद

यदि आपका परिवार योजना में शामिल है, तो एक साल में पूरे परिवार के लिए कुल रु. 5 लाख तक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की मदद मिल सकती है।

अस्पताल में कैशलेस इलाज

योजना की सूची में शामिल इलाज के लिए सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में सीधे योजना से भुगतान हो सकता है।

पूरे भारत में कार्ड का उपयोग

आप अपना आयुष्मान कार्ड भारत के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में दिखा सकते हैं।

पहले यह समझ लें: हर बीमारी और हर खर्च इस योजना में शामिल नहीं होता। इलाज शुरू होने से पहले अस्पताल के आयुष्मान सहायता काउंटर से साफ पूछें कि आपका इलाज योजना में शामिल है या नहीं।

1. अपना नाम कैसे देखें?

1

नीचे दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करें। सरकारी पेज खुलने पर अपना नाम और परिवार की जानकारी देखें।

2

यदि मोबाइल से जाँच नहीं हो रही है, तो सरकारी हेल्पलाइन **14555** पर फोन करके अपना नाम पूछें।

3

आप नजदीकी CSC, आयुष्मान केंद्र या सूचीबद्ध अस्पताल के आयुष्मान सहायता काउंटर पर भी मदद ले सकते हैं।

4

यदि नाम नहीं मिले, तो किसी दलाल को पैसा न दें। केवल सरकारी हेल्पलाइन या मान्य केंद्र से सही जानकारी लें।

यदि उम्र 70 साल या उससे अधिक है: आय की कोई सीमा नहीं है। आधार में उम्र 70 साल या उससे अधिक होने पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए जानकारी लें। मदद के लिए **1800 11 0770** पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं।

योजना के बारे में चार जरूरी बातें

- ☐ योजना में शामिल परिवार में सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
- ☐ पहले से चल रही बीमारी भी योजना में शामिल हो सकती है और योग्य व्यक्ति को पहले दिन से लाभ मिल सकता है।
- ☐ परिवार को मिलने वाली रु. 5 लाख की सीमा सभी सदस्यों के लिए मिलाकर होती है।
- ☐ कार्ड बन जाने का मतलब यह नहीं है कि हर इलाज अपने-आप मंजूर हो जाएगा। अस्पताल से पहले पुष्टि करें।

कागज, कार्ड और अस्पताल में इस्तेमाल

2. कौन-कौन से कागज साथ रखें?

- ☐ अपना आधार कार्ड रखें। आधार न हो तो सरकार द्वारा जारी कोई दूसरा फोटो पहचान पत्र साथ रखें।
- ☐ परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड या प्रधानमंत्री का पत्र, यदि आपके पास है, साथ रखें।
- ☐ अपना चालू मोबाइल नंबर साथ रखें, क्योंकि जाँच या OTP के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।
- ☐ यदि पुराना आयुष्मान कार्ड या परिवार ID है, तो उसे भी साथ ले जाएँ।

कागज जगह और मामले के अनुसार बदल सकते हैं। मान्य केंद्र आपसे जो अतिरिक्त कागज माँगे, उसकी सूची वहीं से लिखकर ले लें।

3. आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएँ?

- → सबसे पहले सरकारी पेज, हेल्पलाइन या मान्य केंद्र से जाँच लें कि आपका नाम योजना में है या नहीं।
- → मान्य केंद्र पर अपनी पहचान और परिवार की जानकारी की जाँच करवाएँ।
- → CSC, आयुष्मान केंद्र या सरकारी ऐप/पोर्टल पर बताई गई प्रक्रिया पूरी करें।
- → कार्ड बन जाने के बाद उसे मोबाइल में डाउनलोड करें या उसकी साफ प्रिंट कॉपी रख लें।

कार्ड बनवाना मुफ्त है। यदि कोई व्यक्ति कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा माँगे, तो पहले 14555 या बिहार हेल्पलाइन 104 पर पूछें।

4. अस्पताल जाते समय क्या करें?

1. घर से निकलने से पहले जाँच लें कि अस्पताल आयुष्मान योजना की सूची में शामिल है।
2. अस्पताल पहुँचकर आयुष्मान सहायता काउंटर या आरोग्य मित्र के पास जाएँ।
3. अपना कार्ड और पहचान पत्र दिखाएँ। इलाज शुरू होने से पहले पूछें कि इलाज योजना में शामिल है या नहीं।
4. भर्ती, जाँच, इलाज और छुट्टी से जुड़े सभी कागज अपने पास सुरक्षित रखें।

सावधान रहें: अपना OTP, आधार की कॉपी या निजी कागज किसी अनजान व्यक्ति को न दें। कोई व्यक्ति पक्का कार्ड या पक्का इलाज दिलाने का दावा करे, तो पहले 14555 पर जाँच करें।

अपना नाम देखने के लिए सरकारी पेज खोलें

QR कोड स्कैन करने पर सरकारी PM-JAY लाभार्थी पेज खुलेगा।

beneficiary.nha.gov.in

सूचीबद्ध अस्पताल खोजें

QR कोड स्कैन करके अपने पास का आयुष्मान अस्पताल खोजें।

hem.nha.gov.in/search

सरकारी आयुष्मान हेल्पलाइन पर योजना, नाम और अस्पताल की जानकारी पूछ सकते हैं।

14555 / 1800 111 565

बिहार में सहायता और शिकायत के लिए 104 पर भी फोन कर सकते हैं।

तैयार एवं प्रकाशित: फुला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान | **निबंधन:** S000380 (अधिनियम 21, 1860) | **पंजीकरण:** 27 फरवरी 2022

पता: सरस्वती विहार कॉलोनी, साईचक, पोस्ट एवं थाना बेउर, पटना - 800002, बिहार | **वेबसाइट:** fuladevi.org

यह गाइड संस्था के 2024 के जागरूकता काम के अनुभव के आधार पर तैयार की गई है। **तैयार करने की तारीख: 22 जुलाई 2026**

जरूरी बात: यह सरकारी कागज नहीं है। नियम बदल सकते हैं। अंतिम जानकारी सरकारी वेबसाइट, हेल्पलाइन, बैंक या मान्य केंद्र से लें।